## Case Study-20

### अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

---

**ए0के0शुक्ल**
**मुख्य कार्मिक निरीक्षक/कार्मिक**

एक स्रोत सूचना के आधार पर एक मंडल में अनुकम्पा आधर पर नियुक्ति को संज्ञान में ले कर सतर्कता जांच किया गया । जांच में पाया गया कि एक कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में दिनांक 28.02.2013 हो गयी थी । कर्मचारी के मृत्युपरान्त एक तथाकथित महिला को पत्नी मानकर अनुकम्पा आधारित नियुक्ति दे दी गयी है । तथाकथित महिला को अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु मेडिकल उपचार पुस्तिका, परिवार रजिस्टर की नकल एवं स्व0 कर्मचारी का वर्ष 2013 का पास घोषणा पत्र को आधार बनाया गया था । जांच में पाया गया कि मेडिकल उपचार पुस्तिका, स्व० कर्मचारी के कार्यालय से जारी ही नहीं किया गया था । सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध 2013 के पास घोषणा पत्र पर किसी कार्यालय प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं था । स्व0 कर्मचारी ने वर्ष 2012 के पास घोषणा पत्र में पत्नी के रुप मे किसी का नाम नही दिया है तथा दिनांक 15.02.2012 एवं 19.06.2012 को सुविधा पास स्वंय के लिए ही जारी कराया है ।

तथाकथित महिला द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवार सूची प्रमाण पत्र का सत्यापन सतर्कता संगठन द्वारा कराया गया । परिवार रजिस्टर की नकल जारी करने वाले प्राधिकारी ने अवगत कराया कि स्व० कर्मचारी का सम्बन्ध तथाकथित महिला के साथ था परन्तु वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं दी गई । सतर्कता जाचॅ में तथाकथित महिला द्वारा प्रस्तुत किये गये पपत्र सही नहीं पाये गये है ।

यह उल्लेखनीय है कि सभी पपत्र कर्मचारी के मृत्यु के एक सप्ताह के अन्दर बनाए गये है । स्व0 कर्मचारी का पास घोषणा पत्र वर्ष 2012, वर्ष 2013, पास जारी किये जाने हेतु दिए गये आवेदन पत्र एवं मेडिकल उपचार पुस्तिका पर किया गया स्व0 कर्मचारी का हस्ताक्षर भिन्न-भिन्न था । तथाकथित महिला द्वारा प्रस्तुत किए गये अभिलेखो का सत्यापन सम्बन्धित कार्मिक निरीक्षको द्वारा नहीं कराया गया तथा बिना पपत्रो के सत्यापन के अपनी रिर्पोट तथाकथित महिला के पक्ष में दे दी गयी, जिसके आधार पर तथाकथित महिला को पत्नी मानकर समापक भुगतान/अनुकम्पा आधारित नियुक्ति दे दी गयी ।

उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी एवं तथाकथित महिला के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है ।

**********